

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:--नर्सिंग / एएनएम / स्था0 / भरतपुर-जोन / 2025 /

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 05.10.2016 द्वारा निम्न अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। कार्मिका द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर के क्रम में इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्रीमति)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	शुभलक्ष्मी मीना	करौली	03.03.1979	15.01.2016	05.07.2018	06.07.2018

नोट:-निदेशालय के आदेश क्रमांक 84 दिनांक 25.05.2024 के द्वारा कार्मिका का 203 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है के क्रम में कार्मिका के परिवीक्षाकाल अवधी में नियमानुसार 173 दिवस की अभिवृद्धि की जाती है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 13-01-2025

क्रमांक:--नर्सिंग / एएनएम / स्था0 / भरतपुर-जोन / 2025 / 15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :10-01-2025 07:26:40